बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0 / अपील–प्राधि0 / 18 / 2023 / पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 – 33. / 2024

मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन की ओर से पार्टनर श्री पंकज कुमार, काली स्थान चौक, बेगूसराय द्वारा दिनांक–24.11.2023 को मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–226 / 2023 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2200 दिनांक–22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2285 दिनांक–30.07.2023 के द्वारा फर्म के निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05 / SBD / 2022–23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0–25 से, निम्नांकित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थीः–

क्रम सं0–25– गया जिलान्तर्गत सरवहदा ओ0पी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई–निविदा की कंडिका–35 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

"35–निविदा में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. पुनः बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

7. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23, क्रम सं0–25, गया जिलान्तर्गत सरवहदा ओ0पी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 09 निविदाकार यथा–गोविन्दा कंस्ट्रक्सन, 2. अरविन्द कुमार, 3. ओएसिस क्रियेटिव कंस्ट्रक्सन प्रा0 लि0, 4. मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्सन, 5. युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेसन लि0, 6. सुभद्रा इन्टरप्राईजेज, 7. क्राईसन इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, 8. धिरेन्द्र प्रसाद एवं 9. एयर कुलिंग सिस्टम द्वारा निविदा समर्पित किया गया।

8. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के क्रम सं0–25 की योजना, गया जिलान्तर्गत सरवहदा ओ0पी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य

के लिये मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्सन द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ेया, कॉके, राँची 834006 द्वारा निर्गत पत्रांक–209/वेजफेड, राँची दिनांक–10.05.2022 भी समर्पित किया गया था।

9. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के क्रम सं0–25 की योजना, गया जिलान्तर्गत सरवहदा ओ0पी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्सन द्वारा समर्पित उपर्युक्त अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा–Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ेया, कॉके, राँची 834006 को निविदाकार मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्सन द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु ई–मेल से प्रेषित निगम के पत्र सं0–मोने0-33 (अनु0) दिनांक–17.04.2023 के द्वारा अनुरोध किया गया।

10. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में प्रबंध निदेशक, बेजफेड, राँची, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड), राँची, चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003 ने दिनांक–24.04.2023 को अपराह्न 02:05 बजे ई–मेल से भेजे गये पत्रांक–188/वेजफेड, राँची दिनांक–24.04.2023 के द्वारा सूचित किया कि " आपके द्वारा प्रतिभागी निविदादाता M/s R. S. Construction के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में माँगी गई सूचना से संबंधित पत्र वेजफेड कार्यालय से निर्गत नहीं है।"

11. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, बेगूसराय, पॉवर अटर्नी होल्डर, श्री दीपक कुमार, पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, बेगूसराय एवं पार्टनर 1. संजीव कुमार सिंह, पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय, 2. राजीव कुमार, पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय, 3. पंकज कुमार, पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0– सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय, 4. मृदुला सिंह, पिता–स्व0 नागेश्वर सिंह, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय, 5. पिंकी कुमारी पिता–स्व0 मदन कुमार, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय एवं 6.बन्दना कुमारी, पिता–श्री भुबनेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय के द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित करने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने के लिये मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के पार्टनर्स के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, दर्ज प्राथमिकी की सं0– पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं0–106/2023, दिनांक–15.05.2023 है।

12. तत्पश्चात, अपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–226/2023 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2200 दिनांक–22.06.2023 से मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–प्रथम 8/2017–18 (पार्टनरशिप) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

13. पुनः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2285 दिनांक–30.07.2023 के द्वारा मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–प्रथम 8/2017–18 (पार्टनरशिप) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 21.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

14. **अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि**

(i) मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से दिनांक–18.05.2022 को निर्गत ई–निविदा सं0–05/SBD/2022–23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30.06.2022 निर्धारित थी। इस ई–निविदा की कंडिका–8 के अनुसार निविदा की वैधता अवधि 120 दिन निर्धारित की गयी थी। निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 एवं पत्रांक–एचक्यू0 1853 दिनांक– 28.06.2022 से निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 07.07.2022 एवं पुनः 21.07.2023 निर्धारित की गयी, परन्तु निविदा वैधता की अवधि अपरिवर्तित रही।

उपर्युक्त एनआईटी के साथ–साथ सभी शुद्धि पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निविदा की वैधता केवल 120 दिन थी, जो 21.11.2022 के पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिसका अर्थ है कि मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन की निविदा 21.11.2022 को "अमान्य" हो गयी थी तथा इस तिथि के बाद मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन की निविदा विचारणीय नहीं थी और मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

SBD के खंड–15.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "असाधारण परिस्थितियों में, मूल समयावधि की समाप्ति से पहले, नियोक्ता अनुरोध कर सकता है कि निविदाकार एक निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए वैधता की अवधि बढ़ा सकते हैं। अनुरोध केबल द्वारा लिखित रूप में की जाएंगी। निविदाकार security deposit की राशि को जब्त किए बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। अनुरोध से सहमत होने वाले निविदाकार को अपनी निविदा को संशोधित करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी।"

मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन के द्वारा SBD के उपर्युक्त खंड–15 के संदर्भ में निविदा वैधता अवधि की विस्तार के लिये कोई सहमति नहीं दी गयी थी। निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त दस्तावेजों का सत्यापन कानूनन सही नहीं है और वह भी याचिकाकर्ता की सहमति के बिना।

मुख्य अभियंता द्वारा blacklisting का आदेश कानूनन सही नहीं है, क्योंकि blacklisting की कार्रवाई निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रारंभ की गयी है।

(ii) Blacklisting के मूल आदेश को अनुवर्ती आदेश के द्वारा संशोधित करने हुये, blacklisting की अवधि 05 वर्ष निर्धारित करना, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत गलत है, blacklisting की निश्चित अवधि को कोई प्रावधान नहीं है।

(iii) काली सूची में डालने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है, क्योंकि फर्म को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है।

(iv) फर्म को 05 साल के लिये काली सूची में डालने की सजा आरोप के अनुपात में अप्रत्यानुपातिक है।

(v) फर्म पिछले 11–12 वर्षों से निर्माण का कार्य कर रही है एवं फर्म के द्वारा 50 करोड़ रू0 से अधिक राशि का सिविल निर्माण कार्य निगम में निष्पादित किया गया है। Bid

document के अनुसार फर्म द्वारा कार्य मूल्य का 50% तक राशि का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है। फर्म द्वारा अन्य कार्यों के अलावा एक ही कार्य 10 करोड़ रू0 का कराया गया है।

(vi) वर्तमान मामलें में फर्म द्वारा 5,08,00,000/–रू0 का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जबकि इस कार्य के लिये 2,60,00,000/–रू0 का performance certificate ही पर्याप्त है। फर्म के द्वारा आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन का performance certificate upload किया गया है, परन्तु कार्यालय कर्मी की गलती के कारण VEGFED द्वारा निर्गत उपर्युक्त प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया गया, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। VEGFED द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना फर्म के कर्मियों की ओर से मानवीय भूल है।

(vii) फर्म का कोई अन्य इरादा नहीं है, इसका साधारण कारण यह है कि फर्म के पास पहले से ही सिविल कार्य/थाना भवनों के निर्माण का अनुभव है, इसलिये किसी अन्य स्थान का performance certificate upload करने का कोई intentional occasion नहीं था।

(viii) अपील आवेदन में आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता के द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11(डी) के आलोक में अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के समक्ष दिनांक–07.08.2023 को अपील दायर किया गया है, जो अभी लंबित है। इसी बीच ज्ञात हुआ कि अपील यहाँ दायर किया जाना है, इसलिये यह अपील भवदीय समक्ष दायर किया जा रहा है।

15. दिनांक–21.12.2023 को अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये। विद्वान अधिवक्ता श्री संजीत कुमार के माध्यम से उनकी उपस्थिति हुयी। उनकी ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि अपीलकर्ता लम्बे समय से निगम में कार्य कर रहे हैं। इस निविदा के लिये आवश्यक पर्याप्त कार्य अनुभव उनके पास है। कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भूलवश कथित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया। वह ऐसा क्यों करेंगे, जब उनके पास पर्याप्त कार्य अनुभव है।

16. अपीलकर्त्ता का यह कथन कि निविदा वैधता की अवधि की समाप्ति के उपरान्त blacklisting की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है, मान्य नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है।

अपीलकर्त्ता के निबंधन को आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये कालीकृत किया गया है। अपील में सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य या सफाई प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही फर्म एवं पार्टनर्स के उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया। स्पष्ट है, अपीलकर्त्ता के द्वारा उपर्युक्त कंडिका में परिभाषित अपराध उस समय ही पूर्ण हो गया था, जिस समय निविदा के साथ छल करने के उद्देश्य से जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। फर्म तथा इसके पार्टनर्स के द्वारा कारित उपर्युक्त अपराध का प्रभाव निविदा की वैधता अवधि से प्रभावित नहीं होता है और न ही निविदा अवधि की समाप्ति से कम या समाप्त हो जाता है।

17. अपीलकर्त्ता का यह कहना कि उनके निबंधन को काली सूची में डालने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है, क्योंकि फर्म को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है, सही नहीं है। इस संबंध में मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन को संबोधित मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1876 दिनांक–01.06.2023 की अंतिम कंडिका का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो निम्नवत हैः–

"अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आप स्पष्ट करे कि क्यों नहीं उक्त अपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी एवं छल करने के आरोप में आपके अर्थात मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, बेगूसराय के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाए।"

उपर्युक्त पत्र निबंधित डाक (स्पीड पोस्ट) से दिनांक–02.06.2023 को भेजा गया है, जिसका RF No. 300524261IN है। यह पत्र अपीलकर्ता को निबंधन के समय उनके द्वारा दिये गये पते, मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन, ग्राम+पो0–सिहमा, थाना–मटिहानी, बेगूसराय, पिन–851129 पर भेजा गया था, परन्तु पत्र 'अधूरा पता के कारण' दिनांक–07.06.2023 को वापस हो गया। यही पता फर्म के पार्टनरशिप डिड में भी है। ऐसे में उसी पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा गया पत्र वापस हो जाना संदेह उत्पन्न करता है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–226/2023 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2200 दिनांक–22.06.2023 तथा ज्ञापांक–एच0क्यू0 2285 दिनांक–03.07.2023 को निर्गत किये जाने के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि फर्म तथा उसके पार्टनर्स के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र असली (genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि फर्म तथा उसके पार्टनर्स के द्वारा जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

यह सही है कि VEGFED का अनुभव प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दिये जाने पर भी निविदा के तकनीकी बीड में सफल होने के लिये मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन के पास पर्याप्त अनुभव था, परन्तु इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि VEGFED का यह अनुभव प्रमाण पत्र जानबूझ कर या कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा भूलवश अपलोड किया गया। इस बात से भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि फर्म तथा उसके पार्टनर्स को उनके द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर कार्यावंटन हुआ था या नहीं तथा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कोई क्षति पहुँची या नहीं। गलत ढ़ग से लाभ प्राप्त करने हेतु जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना ही फर्म के गलत उद्देश्यों को प्रमाणित करता है तथा फर्म को भविष्य में आमंत्रित किये जाने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित करने या अयोग्य करने का पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

18. अतः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के क्रम सं0–25–गया जिलान्तर्गत सरवहदा ओ0पी0 में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन को SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) के Clause 33 के तहत, तत्कालिक प्रभार से 03 वर्ष के लिये, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम एवं किसी भी अन्य कार्य विभाग/निगम/प्राधिकार/ अभिकरण/संस्था की निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया

जाता है। निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय आदेश–226/2023 दिनांक–22.06.2023 तथा ज्ञापांक–एच0क्यू0 2285 दिनांक–03.07.2023 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मे0 आर0 एस0 कंस्ट्रक्शन की ओर से पार्टनर श्री पंकज कुमार, काली स्थान चौक, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक Ha 197 ./ पटना, दिनांक – 19/11.....2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/11/24

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम